UPSB010026302025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र

पीठासीनः गोविन्द मोहन (एच0जे0एस0),(जे0ओ0 कोड नं0–2687),

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–69/2025

शेखावत अली पुत्र सराफत अली, निवासी वार्ड नं0–03, अम्बेडकर नगर, कस्बा व थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

.... पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार,
2. प्रकाश पुत्र लालधारी, निवासी हिन्दुआरी, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र, हाल पता न्यायिक अभिरक्षा में अन्दर जिला कारागार, सोनभद्र

............विपक्षीगण

–:निर्णय :–

1. आज यह दाण्डिक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र 3क पर आदेश हेतु नियत है।

2. पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के द्वारा यह दाण्डिक पुनरीक्षण विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के द्वारा परिवाद संख्या– 787/2024, शेखावत अली बनाम प्रकाश वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 04.10.2024 के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण योजित किया गया है।

3. पुनरीक्षण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी संख्या–185मी. व उसमें 100 वर्गफीट बाउण्ड्री निर्मित मकान जगजीवन सिंह पुत्र मूलन सिंह, निवासी ग्राम हिनौता, थाना राबर्ट्सगंज का है, लेकिन विपक्षी प्रकाश, प्रकाश का लड़का व प्रकाश की पत्नी मुन्नी अपना बताकर मु० 20,000/– रूपये एडवांस व मु0 16,000/– रूपये एक मुश्त एक वर्ष का किराया लेकर दिनांक 12.08.2021 को रजिस्टर्ड इकरारनामा वास्ते किरायेदारी लिखा था। प्रार्थी ने उपरोक्त किराया के मकान में आलमारी, कुर्सी व कुछ सामान रखकर आफिस के रूप में उपयोग कर रहा था। इसी दौरान प्रकाश की पत्नी मुन्नी देवी की तबियत खराब हो गयी। उनकी दवा इलाज के लिये प्रकाश व प्रकाश के

लड़के ने मु0 1,00,000/– रूपये नगद समक्ष गवाहान, इस शर्त पर लिया गया कि किराया में धीरे–धीरे कट जायेगा। इलाज के दौरान मुन्नी की मृत्यु हो गयी। प्रार्थी उपरोक्त जमीन में निर्मित मकान में तीन कमरों में से बीच वाला कमरा बतौर किराया पर उपयोग करता था। प्रार्थी 20.12.2023 को कुछ दिनों के लिये बाहर गया था। प्रार्थी दिनांक 15.01.2024 को वापस लौटा, तो देखा कि किराये के मकान में प्रार्थी का ताला तोड़कर किसी ने अपना ताला लगा दिया। पता करने पर पता चला कि प्रार्थी के किराये वाले मकान का ताला तोड़कर प्रकाश व उसके लड़के ने किसी अन्य को किराये पर दिया है। पता करने पर यह भी पता चला कि प्रकाश, उसके पुत्र व प्रकाश की पत्नी, जगजीवन सिंह का मकान को अपना बताकर कई लोगों से पैसा लेकर किरायेदारी लिखा है, जिसके बावत् उन लोगों के विरूद्ध कई मुकदमा लिखा गया है, जिसमें प्रकाश जेल भी गया है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को धोखे में रखकर दिया गया किराया का कमरा व जमीन भी जगजीवन सिंह का है। प्रार्थी ने घटना की सूचना थाना हाजा पर दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब घटना की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को दिया, किन्तु वहाँ से भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के प्रार्थना पत्र पर थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र से आख्या तलब की गयी। तदोपरांत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अं.धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. पर सुनने के उपरांत आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.05.2025 पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक का प्रार्थना पत्र इस अभिमत के साथ खारिज कर दिया गया कि प्रस्तावित अभियुक्त के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक को दिनांक 11. 08.2021 को ग्यारह माह तक के लिए किराये पर कथित मकान दिया गया था, जब कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित अभियुक्त के द्वारा दिनांक 15.01. 2024 को मकान से निकाल दिये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत किरायेदारी घटना के दिनांक 15.01.2024 को प्रभावी नहीं थी। जहॉ तक प्रस्तावित अभियुक्त के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक से मु. 1,00,000/–रू. सशर्त लिये जाने का तथ्य है, उक्त संदर्भ में पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के द्वारा कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। थाना से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति के बावत् पक्षकारों के मध्य पूर्व से कई अभियोग थाना पर पंजीकृत हैं।

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा पुनरीक्षण में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायलय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश तथ्य एवं विधि के प्रतिकूल है। विपक्षी के द्वारा दूसरी की जमीन व मकान को अपना बताकर छल से पैसा लेकर किरायेदारी

अनुबंध दिनांक 12.08.2021 को किया गया है, जिसकी जानकारी होने पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा थाना व जरिए रजिस्ट्री पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचना दिया। विपक्षी की पत्नी मुन्नी देवी के दवा इलाज के लिए एडवांस मु. 1,00,000/–रू. प्रस्तावित अभियुक्त के द्वारा लिये जाने का उल्लेख पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को प्रेषित प्रार्थना पत्र व परिवाद में किया है। प्रश्नगत मकान से पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक का सामान गायब है। कथित अनुबन्ध दिनांक 11.08.2022 को पूरा हो गया था, इसके आगे कथित मु. 1,00,000/–रू. के आधार पर वह मकान में रह रहा था और सन् 2026 तक रहता, लेकिन दिनांक 25.01.2024 के आस पास बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएँ निगरानीकर्ता को निकाल दिया। विपक्षी द्वारा कथित मकान को पूर्व में अन्य व्यक्तियों को छल से किरायेदारी अनुबंध लिखा था, जिसके बावत् अन्य किरायेदारों ने विपक्षी के विरूद्ध मुकदमा लिखवाया है, जिनमें विपक्षी जेल में है। प्रार्थना पत्र संज्ञेय है, मात्र पुलिस की आख्या के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के साक्ष्य को नजरअन्दाज कर संज्ञेय अपराध के प्रार्थना पत्र को खारिज करना विधि विरूद्ध है और युक्ति–युक्त नहीं है। उक्त आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.05.2025 को अपास्त कर विचारण न्यायालय को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विधिनुसार विवेचना किये जाने का आदेश पारित किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने की याचना की गयी।

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.05.2025 की सत्यप्रतिलिपि एवं विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–787/2024, शेखावत अली बनाम प्रकाश वगैरह की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी संख्या–2 नोटिस तामील होने के बावजूद पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं आया। विपक्षी संख्या–1 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक(एस.सी.एस.टी.एक्ट) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आलोच्य आदेश दिनांकित 06.05.2025 में कोई अवैधानिकता नहीं है, बल्कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश को पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई भी तथ्यात्मक, वैधानिक व क्षेत्राधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाय।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

यह दाण्डिक पुनरीक्षण धारा–348 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत संस्थित किया गया है।

धारा–348 बी0एन0एस0एस0 के प्राविधान से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की शुद्धता, वैधता एवं औचित्य का परीक्षण करने का अधिकार है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अं.धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में विपक्षी पर यह आक्षेप लगाया है कि विपक्षी ने पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक को आराजी संख्या–185मी. रकबा 100 वर्गफीट में निर्मित मकान को मु. 20,000/–रू. एडवांस व 11 माह का किराया एक मुश्त लेकर दिनांक 12.08.2021 को रजिस्टर्ड अनुबंध किया। पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के अनुसार ही उक्त अनुबंध दिनांक 11.08.2022 को समाप्त हो गया। इसी मध्य विपक्षी पत्नी की तबियत खराब होने के कारण पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक से मु. 1,00,000/–रू. कर्ज लिया और यह तय किया कि पैसा आगे किराये में कट जायेगा, किन्तु पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक दिनांक 20.12.2023 से 15.01.2023 तक बाहर था, वापस आने पर उसे पता चला कि विपक्षी ने प्रश्नगत मकान को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दे दिया है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.05.2025 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा विपक्षी को कथित तौर पर कर्ज के रूप में मु. 1,00,000/–रू. दिये जाने सम्बन्धी कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के अनुसार ही प्रश्नगत मकान के किराये के बावत् पक्षों के मध्य हुआ अनुबन्ध दिनांक 11.08.2022 को समाप्त हो चुका था। अग्रेतर किरायेदारी अनुबंध बढ़ाये जाने सम्बन्धी कोई करार पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक व विपक्षी के मध्य होना कथित नहीं है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह तथ्य भी ज्ञात होता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के बावत् पक्षकारों के मध्य पूर्व से अभियोग थाना हाजा पर पंजीकृत है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा विपक्षी पर अनुचित दबाव बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में उल्लिखित घटना से प्रकरण में किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने का तथ्य प्रकट नहीं होता है।

विधि व्यवस्था **इन्द्रमोहन गोस्वामी बनाम स्टेट आफ उत्तरांचल, 2008 (60) ए.सी.सी.1** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक विधि का प्रयोग किसी भी पक्षकार को प्रताड़ित करने, किसी के ऊपर अनुचित दबाव बनाने व व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है।

हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के विश्लेषण से पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के द्वारा विपक्षी पर अनुचित दबाव बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के कारित होने का प्रकटन

नहीं होता है।

उपर्युक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं.धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. के सापेक्ष पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06.05.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित सभी तथ्यों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया है। आदेश पारित करने में कोई दुराशय कारित नहीं किया गया है, न ही किसी न्यायालयीय प्रक्रिया को नजरअन्दाज किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिक सिद्धांतों के सर्वथा अनुकूल है तथा उक्त आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों एवं मान्यताओं की अनदेखी नहीं की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.05.2025 पुष्ट किये जाने योग्य है व दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

–: आदेशः–

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–69/2025, शेखावत बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित हो।

दाण्डिक पुनरीक्षण की पत्रावली इसी न्यायालय के द्वारा नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जाय।

दिनांक–09.06.2026

(गोविन्द मोहन)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र,
(J.O Code - UP 2687)

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–09.06.2026

(गोविन्द मोहन)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र,
(J.O Code - UP 2687)